

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

पंजीकृत डाक से, पावती सहित

क्रमांक सं. L00 157125 /आरटीआई/प्र.अ.08/2017-18

03 अगस्त, 2017

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)
प्रथम अपील क्र.08/2017-18**

**अपीलार्थी : डॉ. सुनील कुमार सैनी,
ग्राम जटवाड़ा, पोस्ट जानसठ, जिला मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश 251314**

निर्णय

प्रस्तावना :

डॉ. सुनील कुमार सैनी, अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 16 जुलाई, 2017 के आवेदन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी बैंक की ब्रांच व BC खोलने व इस दिशा में संबंधित कार्यवाही की जानकारी के बारे में जानना चाहा था। उक्त आवेदन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सिडबी एवं UCO बैंक को स्थानान्तरित किया गया। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 को संबंधित आवेदन पत्र UCO बैंक को ऑनलाइन स्थानान्तरित किया गया चूँकि उक्त जानकारी UCO बैंक से अपेक्षित थी। उत्तर न मिलने से असंतुष्ट होने की दशा में अपीलार्थी ने दिनांक 21 जुलाई, 2017 की यह अपील प्रस्तुत की है।

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 19 जुलाई, 2017 के UCO बैंक को ऑनलाइन स्थानान्तरित किये गए कागज़ात, एवं अपील का भलीभाँति अवलोकन किया है।

निर्णय :

मेरे विचार से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार सही है। इस प्रकार की सूचना संबंधित संस्था अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जा सकती है। प्रार्थी UCO बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

Dr.

एमएसएमई विकास केन्द्र, सी - 11, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. दूरभाष: 022-67531100
MSME Development Centre, C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Tel.: 022-67531100

Toll Free No.: 1800 22 6753


www.sidbi.in

www.sidbistartupmitra.in

www.standupmitra.in

को आवेदन कर सकता है, भारतीय लघु उद्योग बैंक के अधिकार क्षेत्र में किसी बैंक शाखा की स्थापना नहीं है। अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाए।



[शैलेन्द्र महलवार]
मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी